

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-2

संख्या- 01 /2022/15/36-2-2022-130/2010-टी0सी0-1

लखनऊ, दिनांक : 04 जनवरी, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) नियमावली, 2009 के नियम-256 तथा 257 के साथ पठित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 27 सन् 1996) की धारा 18 की उपधारा (1) व (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके मा० राज्यपाल महोदया इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, निम्नलिखित सदस्यों से सम्मिलित उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन करते हैं, जो उक्त अधिनियम और उक्त नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और समनुदेशित कृत्यों का पालन करेगा :-

1	अपर मुख्य सचिव, श्रम, उत्तर प्रदेश शासन।	पदेन- अध्यक्ष	नियम-256(1) (एक)	
2	कल्याण आयुक्त, भारत सरकार	पदेन- सदस्य	नियम-256(1) (दो)	
3	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।	पदेन- सदस्य /मुख्य निरीक्षक	नियम-256(1) (तीन)	
4	विशेष सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	पदेन- सदस्य	नियम-256(1) (चार)	
5	विशेष सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	पदेन- सदस्य	नियम-256(1) (चार)	
6	विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	पदेन- सदस्य	नियम-256(1) (चार)	
7	सेवायोजक प्रतिनिधि	सदस्य	नियम-256(1) (पाँच)	1- श्री राम औतार सैनी, ग्राम गनौरा, पोस्ट कुमेहरा, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। 2- श्री अभय प्रताप सिंह, साखोपार, कुशीनगर। 3- श्रीमती आशा मौर्या, प्रबन्धक, हाईवेस पब्लिक स्कूल, आशापुरम कालोनी, ठाकुरगंज, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

8	कर्मकार प्रतिनिधि	सदस्य	नियम-256(1) (छः)	1- श्री श्रीकान्त अवस्थी, प्रदेश महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ, 2 नवीन मार्केट, कानपुर। 2- श्री राजनाथ, बी0ओ0सी0 वर्कर फेडरेशन ऑफ इण्डिया, कानपुर रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज। 3- श्रीमती सरिता शाक्य, प्रदेश उपाध्यक्ष/जिला अध्यक्ष, आगँनबाडी एवं सहायक वेलफेयर एसोसियेशन, मोटा रोड, बेवर, मैनपुरी।
---	-------------------	-------	---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- उक्त के दृष्टिगत बोर्ड के कार्यों के सुचारू संचालन हेतु नियमावली, 2009 के नियम 256(2) के अधीन 'प्रशासक' की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना संख्या-22/2021/1175/छत्तीस-2-2021-130/2010-टी0सी0-1, दिनांक 16-09-2021 को निरस्त समझा जायेगा।

सुरेश चन्द्रा
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 01/2022/15(1)/36-2-2022-130/2010-टी0सी0-1, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- श्रमायुक्त, 30प्र0, कानपुर।
- 2- सचिव, 30प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
- 3- संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव/अधिकारीगण, 30प्र0शासन।
- 4- संबंधित अनुभाग, श्रम, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- संबंधित सेवायोजक/कर्मकार प्रतिनिधि (द्वारा श्रमायुक्त)।
- 6- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को आज दिनांक 04-01-2022 के अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-4 (खण्ड ख) में प्रकाशनार्थ। कृपया उक्त अधिसूचना की 100 प्रतियाँ श्रम अनुभाग-2, बापू भवन, 30प्र0 सचिवालय, लखनऊ एवं 100 प्रतियाँ श्रमायुक्त, 30प्र0, कानपुर को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

प्रेम प्रकाश सिंह
विशेष सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।